

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 536 / 2025


दिनांक 15.02.2025

श्री शंकर लाल गुप्ता (RJ00315), विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जयपुर महानगर-II को दिनांक 18.02.2025 से 19.02.2025 तक 02 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री गुप्ता की अनुपस्थिति में न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कम-01, जयपुर महानगर-I इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जयपुर महानगर-II के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/20/2000/1354

दिनांक 15.02.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 170 दिनांक 30.01.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्री शंकर लाल गुप्ता (RJ00315), विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जयपुर महानगर-II
4. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कम-01, जयपुर महानगर-I


सहायक रजिस्ट्रार 15/02/25